कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल

दिनांक 15/05/2018

क्रमांक 979/63/आउशि/अनु–ब/18

प्रति,

प्राचार्य,
कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट,
कस्तूरबा ग्राम, इन्दौर (म.प्र.)

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में वेतन–भत्तों के लिए राशि आवंटन की स्वीकृति।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक क.रू.ई./2017–18/34 दिनांक 03.05.18

---00---

1. विषयांतर्गत संदर्भित मांग–पत्र के अनुक्रम में बैकलॉग से नियुक्त शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक स्टाफ के लंबित वेतन–भत्तों के भुगतान हेतु राशि रूपये 18,59,519/– (अठारह लाख, उनसठ हजार, पांच सौ, उन्नीस) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उक्त राशि का व्यय मांग संख्या 44–उच्च शिक्षा, 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, 104–गैर सरकारी कालेज और संस्थाओं को सहायता, 0250–कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट इन्दौर को अनुदान, सेगमेंट कोड–8888, 42–सहायक अनुदान, 002 संधारण अनुदान, (वेतन भत्ते मानदेय इत्यादि) आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
3. आवंटित अनुदान राशि से केवल शासन द्वारा स्वीकृत अनुमोदित एंव पूर्णकालिक पदों पर नियमानुसार कार्यरत् शिक्षकों एंव कर्मचारियों के वेतन भत्तों का ही भुगतान सुनिश्चित करें। यदि पूर्व में कोई अधिक भुगतान हुआ हो तो उसका समायोजन करना सुनिश्चित करें।
4. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 1155 दिनांक 30.05.2013 द्वारा बैकलॉग की पूर्ति किये जाने की शर्त पर 09 शैक्षणिक एंव 07 अशैक्षणिक कुल 16 रिक्त पदों को भरने हेतु आगामी वर्ष (अर्थात् 2014–15) में रूपये 25.00 लाख की वृद्धि मान्य करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई। अतः उक्त आदेश के संदर्भ में नियुक्त शैक्षणिक एंव अशैक्षणिक स्टॉफ के वेतन हेतु शासकीय अनुदान राशि रूपये 25.00 लाख तक सीमित है। अतः इन शिक्षको एंव कर्मचारियों के संबंध मे शेष राशि संस्थान अपने स्त्रोत से वहन किया जाना सुनिश्चित करें।
5. राशि का आहरण वल्लभ भवन, कोषालय, भोपाल के माध्यम से इस कार्यालय के आहरण संवितरण अधिकारी डी.डी.ओ.कोड क्रमांक 0523802008 से किया जाकर संस्थान को किया जावेगा। आवंटित राशि उक्त डी.डी.ओ.कोड में कोषालय सर्वर पर अपलोड है।
6. स्वीकृत राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिए उनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।
7. उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र माह जून 2019 के अंतिम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी संस्था प्राचार्य एंव शासी निकाय की होगी।

<u>**आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।**</u>

(डॉ. सुषमा दुबे) 15/5/18
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

दिनांक 15/05/2018

पृ.क्रमांक: 980/63/आउशि/अनु–ब/18

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), म.प्र. ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
6. आहरण संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.कोड 0523802008) कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, कोषालय, भोपाल

.... की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/5/18

(डॉ. सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश